कार्यालय उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, आर0टी0आई0 भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

संशोधित आदेश

मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ, पीठ लखनऊ द्वारा रिट सी नं0–650/2025 सचिन कुमार बनाम सरकार उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.01.2025 के समादर में आयोग द्वारा जारी आदेश संख्या: 224/उ0प्र0सू0आ0/अधिष्ठान/145/ 2011, दिनांक 28.10.2025 में निम्नलिखित अंश सम्मिलित करते हुए उक्त आदेश संशोधित किया जाता है:–

यह कि मा0 आयोग द्वारा आदेश दिनांक 28.10.2025 के माध्यम से प्रदेश के सुदूरवर्ती जनपदों के नागरिकों को उ0प्र0 सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत द्वितीय अपील, शिकायत व पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्रों के संबंध में नियमों के अधीन प्रकिया की जानकारी सुगम सुविधा उपलब्ध कराये जाने तथा आयोग के कार्यो को अधिक कार्यशील बनायें जाने एवं समाज में महिलायें एवं निर्बल वर्ग जो अधिक शिक्षित नहीं है, ऐसे वर्ग के नागरिकों के प्रत्यावेदन को ऑनलाईन भरनें की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सी0आर0एम0 सेल की स्थापना की गई है।

उक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश इस प्रकार है:–

"........We direct the Opposite Party No.2 to Kindly look into the matter and do the needful so that the E-Filing system functions efficiently. If there are technical glitches, they are remedied at the earliest and if any complaint is received from any person about not being able to file an application or appeal online on account of technical glitches not attributable to the said applicant / appellant then the Commissioner should make some alternative arrangement so that the filling of such application or appeal does not get unnecessary delayed, unless such provision is already there in which case the petitioner may avail the said provision. The petitioner be informed accordingly, if it is so.

If the petitioner has any suggestion to make in this regard, he may do so in writing to the Opposite Party No.2, who may consider the same.........."

उपर्युक्त आदेश के अनुक्रम में यह निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा ई–फाईलिंग प्रकिया में किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि अथवा बाधा का अनुभव किया जाता है, तथा उक्त व्यक्ति द्वारा इस संबंध में आयोग कार्यालय से सम्पर्क किया जाता है, तो **सी0आर0एम0 सेल** द्वारा ऐसे व्यक्ति के आवेदन/अपील/शिकायत प्रार्थना पत्र को आयोग में ई–फाइलिंग से संबंधित समस्या के समुचित समाधान हेतु आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।

अतः उपर्युक्तानुसार आदेश दिनांक 28.10.2025 इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा तथा शेष यथावत रहेगा।

(डा0 आर0के0 विश्वकर्मा)
मुख्य सूचना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश

संख्या: 333/उ0प्र0सू0आ0/अधिष्ठान/145/2011
दिनांक: 12 मार्च, 2026

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

1– समस्त राज्य सूचना आयुक्त गण, उ0प्र0।
2– सचिव, उ0प्र0 सूचना आयोग,
3– रजिस्ट्रार, उ0प्र0 सूचना आयोग,
4– उप सचिव/ वित्त एवं लेखाधिकारी उ0प्र0 सूचना आयोग,
5– शोध अधिकारीगण/प्रशासनिक अधिकारी उ0प्र0 सूचना आयोग,
6– प्रभारी कैट्स टीम/सी0आर0एम0 सेल उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।

(संदीप गुप्ता)
रजिस्ट्रार